फा. सं. 3(2)/2023-रक्षा(एएफटीसी)

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

कमरा सं.145, बी-विंग,

सेना भवन, नई दिल्ली – 110011

दिनांकः21.09.2023

रिक्त पद संबंधी परिपत्र

विषयः सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) में न्यायिक सदस्यों के पद पर चयन संबंधी ।

1) **अधिकरण :** सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) का गठन सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम 1957 एवं वायु सेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन रक्षा कार्मिकों के संबंध में कमीशन, नियक्तियों, भर्तियों तथा सेवा की शर्तों के बारे में विवादों और शिकायतों पर निर्णय लेने और उन पर सुनवाई करने के लिए किया गया था और इसमें उक्त अधिनियमों के तहत दिए गए कोर्ट मार्शल के आदेश, परिणामों अथवा सजा से उत्पन्न होने वाली अपीलों के लिए और इससे संबद्ध मामलों या उसके संयोग से होने वाले मामले के लिए भी प्रावधान है । एएफटी की प्रधानपीठ नई दिल्ली में और क्षेत्रीय पीठ चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, कोच्चि, चेन्नै, श्रीनगर (वर्तमान में जम्मू में कार्यरत है) एवं जबलपुर हैं । **चयन के पश्चात सदस्य को इन स्थानों में से किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है ।**

2) **रिक्तिः** लखनऊ (02), दिल्ली (01), जबलपुर (01), कोलकाता (01), गुवाहटी (01), चैन्नई (01) तथा श्रीनगर (जम्मू में कार्यरत) (01) स्थित पीठों में न्यायिक सदस्यों के पदों के लिए कुल (08) रिक्तियों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं । **तथापि यह उल्लेख किया जाता है कि चयन के बाद सदस्य को प्रथामिकता के क्रम में उनका विकल्प देते हुए इन स्थानों में से किसी भी स्थान पर अथवा अनुबंध-I (प्रोफार्मा) की क्रम संख्या – 17 पर दी गई वरीयता के निरपेक्ष एएफटी पीठों में से किसी एक पीठ में तैनात किया जा सकता है ।**

3) **योग्यताः** अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, पात्रता, वेतन और अन्य निबंधन व शर्तें, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों के अधीन होगी ।

(क) अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम 2021 के नियम, 3 के उप नियम 14 के अनुसार व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके पास निम्नलिखित योग्यता न हो - (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो; या

(ii) ऐसा अधिवक्ता जिसके पास केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेवा संबंधी मामलों का मुकदमेबाजी का दस वर्ष का पर्याप्त अनुभव हो ।

(ख) अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 की धारा 5 के अन्तर्गत :
अधिकरण के सदस्य चार वर्ष की अवधि तक पद पर सेवारत रहेंगे अथवा उनकी आयु सड़सठ वर्ष पूरी होने तक जो भी पहले हो ।

(ग) अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 की धारा 3 के अन्तर्गत, वह व्यक्ति जिसकी आयु पचास वर्ष पूरी नहीं हुई है, सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(घ) अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 10 और 11 के अनुसार सदस्य को प्रतिमाह दो लाख पचीस हजार रुपए वेतन और अन्य स्वीकार्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा ।

[टिप्पणी: अभ्यर्थी अन्य सेवा संबंधी शर्तों के लिए अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम 2021 का संदर्भ ले सकते हैं]

4) **चयन की प्रक्रियाः** उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए गठित खोज सह-चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता और अनुभव को समुचित महत्व देते हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की छानबीन करेगी और वैयक्तिक परस्पर विचार-विमर्श करने के लिए अभ्यर्थियों को चुनेगी । योग्यता, अनुभव और वैयक्तिक विचार-विमर्श के आधार पर समिति द्वारा व्यापक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा । समिति अधिकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्तता, विगत कार्यनिष्पादन रिकार्ड, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ अधिनिर्णय अनुभव को ध्यान में रखते हुए वैयक्तिक विचार-विमर्श के जरिए मूल्यांकन करने सहित पात्र अभ्यर्थियों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अपनी संस्तुतियां देगा और प्रत्येक पद जिसके लिए चयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है, के लिए दो नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

5) <u>पुनः नियुक्ति के लिए चयनः</u> सशस्त्र बल अधिकरण के सदस्य उसी प्रकार से पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जैसे कि वे अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के तहत रिक्ति

परिपत्र अथवा अन्यथा के संबंध में चयनित सभी व्यक्तियों के साथ मुख्य रूप से मूल नियुक्ति हुई थी । एक पद के लिए पात्रता होने का आकलन करते समय समिति उन व्यक्तियों को अधिक वरीयता देगी जिन्होंने अधिकरण में अपने अनुभव के साथ पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन किया है और ऐसा करते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि उक्त व्यक्ति का अधिकरण में सदस्य के रूप में कार्यनिष्पादन कैसा रहा है ।

6) **आवेदन की प्रक्रियाः** योग्य और इच्छुक अधिकारियों के आवेदन उचित माध्यम (जहां कहीं लागू हो) द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं और जिसके साथ

(i) अनुबंध-I पर दिए प्रपत्र में जीवन वृतांत

(ii) अनुबंध-II में दिए गए नियोक्ता/कार्यालयध्यक्ष/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाला प्रमाणपत्र (जहां लागू हो)

(iii) अधिकारी के अद्यतन सीआर/एपीएआर की स्पष्ट प्रतिलिपियां जिनमें किसी समूह 'क' अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले पांच वर्षों की सीआर/एपीएआर शामिल हों (जहां लागू हो)

(iv) संवर्ग सतर्कता (जहां लागू हो)

(v) अनुबंध-III में सतर्कता एवं अनुशासनिक कोण से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र / निकासी (जहां लागू हो)

(vi) विगत दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई छोटी या बड़ी शास्तियों, यदि कोई है, का विस्तृत विवरण, (जहां लागू हो)

निर्धारित प्रपत्र में मूल आवेदन पर विधिवत रूप में भरकर (स्वच्छ रूप में टंकित) 03.11.2023 को या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए । **अवर सचिव (एएफटी प्रकोष्ठ), कमरा सं. 308-ए, बी-विंग, सेना भवन, रक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली - 110011**

7) साक्षात्कार / इंटरएक्सन के लिए आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों को कोई टी ए/ डीए स्वीकार्य नहीं होगा । अभ्यर्थियों को स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।

8) विज्ञापन और निर्धारित आवेदन पत्र रक्षा मंत्रालय एवं सशस्त्र बल अधिकरण की वेबसाइट अर्थात www.mod.gov.in और www.aftdelhi.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

9) अंतिम तारीख के बाद अथवा बिना आवश्यक अनुबंधों के प्राप्त हुए किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा । यह विभाग आवेदन पत्र का डाक में विलंब / उसके खो जाने के कारण जो भी हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । इसलिए यह सुनिश्चित करना आवेदकों के हित में है कि उनके आवेदन पत्र अंतिम तारीख और निर्धारित समय के अन्दर पहुंच जाएं ।

(10) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख आवेदकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी ।

(11) यह नियुक्ति प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों पर निर्णय आने के अध्यधीन होगी ।

(12) सभी संगठनों और उनकी फील्ड फारमेशनों को शीघ्र जानकारी पहुंचाने तथा अधिक से अधिक आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु इसका व्यापक रूप में प्रसारण किया जाए ।

(हरीश चंद्र उपाध्याय)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23011681

सेवा में,

- सेक्रेटरी जनरल, सुप्रीम कोर्ट
- रजिस्ट्रार जनरल, राज्य उच्च न्यायालय (संलग्न सूची के अनुसार)
- सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय
- सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, एएफटी (प्रधान पीठ)
- रजिस्ट्रार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरम (प्रधानपीठ)
- अवर सचिव (आईटी/रक्षा मंत्रालय) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाएं ।

****

अनुबंध-I

प्रोफार्मा

एएफटी में न्यायिक सदस्यों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र

नया ☐ / पुनः नियुक्ति ☐ (उपयुक्त में से विकल्प दें)

अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फोटो

1. नाम :

2. जन्म तारीख :

3. श्रेणी (अजा/अजजा/अ.पि.व./अनारक्षित) :

4. पदनाम/व्यवसाय :

5. संपर्क विवरण

	आवासीय		कार्यालय
	वर्तमान	स्थायी	
पता			
मोबाइल/फोन नं.			
ई-मेल			

6. संवर्ग/सेवा (जहां लागू है)

(क) नियुक्ति की तारीख:

(ख) सेवानिवृत्ति की तारीख:

7. शैक्षिक योग्यता (प्रतिवर्ती तैथिक क्रम में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्थान का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण वर्ष	डिवीजन/प्राप्तांक	शैक्षिक विशेष योग्यता	विषय/विशिष्ट योग्यता

8. कार्य अनुभव:

8क. कर्मचारी के रूप में अनुभव के लिए वर्तमान रोजगार के साथ प्रतिवर्ती तैथिक क्रम में रोजगार रिकार्ड

क्र.सं.	नियोक्ता का नाम/पता (सरकारी/पीएसयू/मंत्रालय/विभाग/अन्य कोई)	पदनाम, वेतन या वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में वेतन)	सेवा की अवधि		कार्य की प्रकृति/अनुभव
			से	तक	

* उक्त के बारे में क्रम संख्या भी दर्शाएं जो जिला जज/ अतिरिक्त जिला जज (योग्यता के अनुसार यथा लागू) अथवा इससे ऊपर

8 ख. व्यवसाय रिकार्ड के अनुभव हेतु वर्तमान रोजगार के साथ प्रतिवर्ती तैथिक क्रम

क्र.सं.	व्यवसाय का विवरण	सेवा की अवधि		कार्य की प्रकृति/अनुभव*
		से	तक	

* जैसे कि प्रशासन/सेवा मामले/न्यायिक-अर्ध न्यायिक/आपराधिक /सिविल/कराधान/कंपनी कार्य/पर्यावरण मामले/ वित्त/लेखा/अर्थशास्त्र/कारोबार/ वाणिज्य/प्रबंधन/पब्लिक अफेयर्स अथवा कोई अन्य जैसा भी लागू हो। सरकार में नियुक्त है यदि कोई, का उल्लेख कीजिए।

9. निम्न के ग्रेड में वेतनमान आहरित करने की तारीख जिला जज/अतिरिक्त जिला जज/भारत सरकार में अथवा कोई समक्ष रैंक (जहां लागू हो) :

10. आवेदक के अनुभव का उल्लेख (200 शब्दों में) [जहां लागू हो] :

11. संगत न्यायालय/अधिकरण (यदि लागू हो) के समक्ष मामलों के निपटान के बारे में संक्षिप्त विवरण के साथ अनुभव : ऐसे मामलों का ब्यौरा (रिपोर्टेड केस/अन रिपोर्टेड केस)

12. एडवोकेट के रूप में नामांकन/पंजीकरण सं. सहित अनुभव का प्रमाण (सरकारी अथवा न्यायिक अधिकारी के अलावा अभ्यर्थियों के लिए) :

13. नवीनतम आईटीआर की प्रतिलिपि के साथ वार्षिक आय (एडवोकेट शाखा के अभ्यर्थियों के लिए) :

14. प्रमुख 05 उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए (प्रत्येक के लिए 200 शब्द) :

15. पुरस्कार/सम्मान/प्रकाशन यदि कोई है :

16. व्यावसायिक निकाय/संस्थान/सोसाइटी/राजनीतिक दल सहित अन्य कोई निकाय

17. अतिरिक्त सूचना यदि कोई है, जो जिसका आप तैनाती के स्थान की वरीयता के साथ इस पद के लिए आवेदन पत्र के समर्थन में उल्लेख करना चाहते हैं, उसे नीचे सारणी में वरीयता क्रम में विकल्प देकर इंगित कर सकते हैं। :

क्र.सं.	एएफटी पीठ का नाम	एएफटी में न्यायिक सदस्यों की रिक्तियों की संख्या	वरीयता के क्रम में विकल्प (क्र.सं. 01 से 07)
01.	चेन्नई	01	
02.	दिल्ली	01	
03.	गुवाहाटी	01	
04.	कोलकाता	01	
05.	जबलपुर	01	
06.	लखनऊ	02	
07.	श्रीनगर (जम्मू में कार्यरत)	01	

घोषणा

1. मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सूचना मेरे जानकारी और विश्वास के साथ सही और पूर्ण है एवं इसमें कुछ छिपाया/मिथ्यावर्णन नहीं किया गया है। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि मैंने दी गई सूचना के बारे में कुछ छिपाया/मिथ्यावर्णन किया है तो मेरी नियुक्ति को बिना नोटिस के तुरन्त निरस्त कर दिया जाए।
2. मैं चयन समिति की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपनी अभ्यर्थिता को वापस नहीं लूंगा।
3. यदि एसीसी द्वारा मेरी नियुक्ति हो जाती है तो मैं नियुक्ति को अस्वीकार नहीं करूंगा।
4. मैं नियुक्ति आदेश के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण कर लूंगा।
5. मुझे ज्ञात है कि यदि मैं क्रम सं. 2 से 4 पर उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करता हूं तो भारत सरकार मुझे संवर्ग बाहर और किसी स्वायत्त संस्था/सांविधिक संस्था/विनियामक संस्था में नियुक्ति पर विचार करने के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु वंचित कर सकती है।

स्थानः
तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुबंध-II

नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषितकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.....द्वारा भरी गई सूचना सही है और उनके पास अनुबंध-I में उल्लिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है एवं सीवीओ द्वारा जारी किया गया सतर्कता निकासी अनुबंध (III) में संलग्न है।

3. इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

4. गत 10 वर्षों की अवधि में श्री/श्रीमती/कु.....पर कोई बड़ी या छोटी शास्ति आरोपित नहीं की गई है।

5. श्री/श्रीमती/कु.....के संबंध में गत पांच की एसीआर/एपीएआर (एसीआर/एपीएआर प्रत्येक की फोटोकापी) की अद्यतन साक्ष्यांकित फोटोकापी इसके साथ संलग्न हैं।

संवर्ग नियंत्रणकर्ता प्राधिकारी/
रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय
की मुहर एवं हस्ताक्षर

अनुबंध-III

ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा जिनके लिए सतर्कता निकासी मांगी गई है
(सीवीओ या एचओडी द्वारा प्रस्तुत या हस्ताक्षरित की जाए)

1. अधिकारी का नाम (पूरा) :

2. पिता का नाम :

3. जन्म तारीख :

4. सेवानिवृत्ति की तारीख :

5. सेवा में शामिल होने की तारीख :

6. बैच/वर्ष/संवर्ग इत्यादि को शामिल करते हुए अधिकारी किस सेवा से संबंधित है, जहां लागू हो। :

7. धारित पद (गत दस वर्षों के दौरान)

क्र.सं.	संगठन (पूरा नाम)	पद और तैनाती का स्थान	प्रशासनिक/नोडल मंत्रालय/संबंधित विभाग (पीएसयू इत्यादि के अधिकारियों के संबंध में)	कब से	कब तक

8. क्या अधिकारी को सहमत सूची या संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारी की सूची में रखा गया है (यदि हां, तो ब्यौरा दिया जाए) :

9. क्या विगत 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर सतर्कता की दृष्टि से कदाचार का कोई :

आरोप लगाया गया है और यदि हां तो
क्या परिणाम रहा (*)

10. क्या विगत 10 वर्षों के दौरान अधिकारी : को कोई दण्ड दिया गया था और यदि हां तो आरोप की तिथि और शास्ति का ब्यौरा दीजिए (*)

11. क्या आज की तारीख तक अधिकारी पर : कोई अनुशासनिक/आपराधिक या आरोप पत्र लंबित है (यदि हां, तो संदर्भ संख्या सहित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए, यदि कोई आरोप हो तो)

12. क्या आज की तारीख में अधिकारी के : विरुद्ध कोई कार्रवाई विचाराधीन है(यदि हां, तो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए (*)

(*) यदि विगत समय में आयोग से कोई सतर्कता निकासी प्राप्त की गई है तो उस अवधि के बाद से सूचना उपलब्ध कराई जाए,

दिनांकः

(नाम एवं हस्ताक्षर)